न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 178 / 2024

1. आशा देवी आचार्य पत्नि प्रकाश चंद आचार्य निवासी भिनाय तहसील भिनाय(राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थितः– **श्री धर्मवीर बामनियां प्रार्थी अधिवक्ता**
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 07.02.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भिनाय पटवार हल्का भिनाय, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 3022 रकबा 0.43 है0 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं. 3023, 3025 व 3026 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 को प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक खसरा भूमि 3023, 3025 व 3026 में से प्रार्थी को रास्ता देने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। प्रकरण में जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश होने पर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 नियत की गई।

पत्रावली में बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक खसरा भूमि 3023, 3025 व 3026 में से प्रार्थी को रास्ता देने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रार्थी ने भी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात पैरोंकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 3022 रकबा 0.43 है0 में जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 3023, 3025 व 3026 में से होकर ही जाता है।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 का अवलोकन किया गया, बहस पत्रावली पर मनन किया गया। बाद अवलोकन तथा मनन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए अनुतोष होने से स्वीकार किया जाता है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की दुगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। तहसीलदार भिनाय द्वारा ग्राम भिनाय की डी.एल.सी. दर 323089/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। अतः खसरा नं. 3023 में से 146.24 वर्ग मीटर (16 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौडा), खसरा नं. 3025 में से 603.24 वर्ग मीटर (66 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौडा) एवं खसरा नं. 3026 में से 932.28 वर्गमीटर (102 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौडा)भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 32.31 रू. प्रति वर्ग मीटर राशि 108675/– रू(9450+38981+60244) मुकर्रर की जाती हैं। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। प्रार्थी खातेदार के लिए ग्राम भिनाय पटवार हल्का भिनाय, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 3023 में से 146.24 वर्ग मीटर, खसरा नं. 3025 में से 603.24 वर्ग मीटर एवं खसरा नं. 3026 में से 932.28 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 3022 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में दर्शित रास्ते की यथानुसार तरमीम कर इन खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)